

21/6/18.



पगावली पेश हुई। वकील वादी ने श्रुत
वाद को सेक्शन 10. सिविल प्रक्रिया संहिता
के तहत रोक दिये जाने पर कोई आपत्ति
पेश नहीं की। अतः वाद वादी रोक दिया
जाता है। पगावली फ़ैसला शुमार होकर,
नम्बर से क्रम होकर - वाद तरलीब तकमील
वारिवल फ़ुतर है।

सिद्धि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बिकानेर

